meeting shall be truly and faithfully maintained by the Secretary. A copy of the minutes shall, as soon as may be after the meeting, be forwarded to the Chief Justice and the State Authority.

8. Funds, Accounts and Audit of the Committee

1. The funds of the Committee shall consist of the following namely:-

a. all sums of money paid or any grants made by the State Authority to the Committee for the purposes of the Act;

b. any grants or donations that may be made to the Committee by any person, under intimation to the State Authority, for the purposes of the Act;

c. any other amount received by the Committee under the orders of any court or from any other source.

2. The funds of the Committee shall be maintained in a Seheduled Bank approved by the Committee. The Secretary shall operate the Bank accounts of the Committee in acordance with the directions of the Chairman.

3. All expenditure on Legal Aid, Legal Advice or other Legal Services, as also expenditure necessary for carrying out the various functions of the Committee shall be met out of the funds of the Committee.

4. The accounts of the Committe shall be maintained properly and in such manner as may be required by the Central or state Authority and shall in this regard be subject to the provisions of section 18.

CHAPTER III

Legal Services

9. Criteria for giving Legal Services

1. Legal Aid, Legal Advice or other Legal Services may be provided by the committee in matters before the high court or central

समिति को किसी व्यक्ति द्वारा राज्य प्राधिकरण को सूचित करते हुये दिया जाय;

(ग) कोई अन्य धनराशि जो किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य श्रोत से समिति द्वारा प्राप्त किया जाय।

2. समिति की निधियों का रख-रखाव समिति द्वारा अनुमोदित किसी अनुसूचित बैंक में किया जायेगा। सचिव समिति के बैंक खाते को अध्यक्ष के निर्देशानुसार चलायेगा।

3. विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवाओं के सभी खर्चों के साथ-साथ समिति के विभिन्न कृत्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक खर्चों को समिति की निधियों से वहन किया जायेगा।

4. समिति का लेखा उचित रूप से और धारा 18 के उपबन्धों के अद्याधीन रहते हुये ऐसी रीति से जैसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित की जाय रखा जायेगा।

अध्याय तीन

विधिक सेवायें

9. विधिक सेवायें दिये जाने का मानदण्ड

1. उच्च न्यायालय या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद और लखनऊ में और राजस्व परिषद्, इलाहाबाद और लखनऊ में या किसी विधि के अधीन इलाहाबाद में न्यायिक कृत्यों के प्रयोग के लिए गठित जिला न्यायालयों से भिन्न किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष मामलों में समिति द्वारा विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवायें प्रदान की जा सकती हैं।

2. कोई व्यक्ति विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवाओं का हकदार होगा यदि वह व्यक्ति :-

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यापार या बेगार का सताया हुआ है;

(ग) स्त्री या बालक है;

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है;

(ङ) अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति है; या

Administrative Tribunal at Allahabad and Lucknow and Board of Revenue at Allahabad and Lucknow or any other Authority constituted under any Law, other than District Courts to excercise judicial or quasijudicial functions at Allahabad.

2. A person shall be entitled to Legal Aid, Legal Advice and other Legal Services if that person is :-

a. a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe,
b. a victum of trafficking in human beings or begar as referred to in a Article 23 of the Constitution of India;
c. a women or a child;
d. a mentally ill or other wise disabled person;
e. a person under circumstances of undeserved want, such as being a victim of a mass disaster ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster; or
f. an industrial workman; or
g. in custody, including custody in a protective home within the meaning of clause (g) of section 2 of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 or in a Juvenile Home within the meaning of clause (1) of section 2 of the Juvenile Justice Act, 1986, or in a Psychiatric Hopital or Psychaiatric Nursing Home within the meaning of clause (g) of section 2 of the Mental Health Act, 1987; or
h. in receipt of annual income from all sources upto rupees twelve thousnds or other higher amount, as may be fixed, from time to time, under rule 16 of the Rules.

10. Refusal to provide Legal Aid, Legal Advice or Legal Services

1. Legal Aid, Legal Advice or other Legal Services may be refused :-

a. to a person in a case of contempt of court;
b. to a person in proceedings relating to any election;
c. in proceedings under Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 except to a victim of

(च) काई औद्योगिक कर्मकार है; या

(छ) अभिरक्षा में है, जिसके अन्तर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में, या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा (2) के (न) के अर्थ में किसी किशोर गृह में, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी मनोश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है; या

(ज) सभी स्रोतों से वार्षिक आय 25,000/- रूपये तक या नियमावली के नियम 16 के अधीन समय-समय पर यथानियत उच्चतर धनराशि प्राप्त करता हो;

10. विधिक सहायता विधिक सलाह या विधिक सेवायें प्रदान करने से इन्कार किया जाना

1. विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें प्रदान करने से;

(क) किसी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना के मामले में;

(ख) किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन से सम्बन्धित कार्यवाही में;

(ग) मानव का दुर्व्यापार के पीड़ित के सिवाय अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अधीन कार्यवाहियों में;

(घ) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन कार्यवाहियों में सिवाय किसी व्यक्ति के जो इस अधिनियम के अधीन किसी निर्योग्यता के अधीन रखा गया हो;

(ङ) किसी व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किये गये किसी अपराध का अभियुक्त हो;

इन्कार किया जा सकता है।

2. मानहानि या विद्वेषपूर्ण अभियोजन के किसी मामले के संबंध में भी विधिक सेवाओं से इन्कार किया जा सकता है जहां सचिव का समाधान हो जाय कि यह तथ्यों की पूर्णता में ऐसे इन्कार किये जाने का उपयुक्त मामला है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस विनियम के अधीन विधिक सेवायें प्रदान करने से इन्कार किये जाने के पूर्व विधिक सेवायें प्रदान करने से इनकार करने के कारणों को अभिलिखित किया जायेगा और अध्यक्ष का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

trafficking in human beings;

d. in proceedings under the Protection of Civil Rights Act, 1955 except to a person who is subjected to any disability under this Act;

e. to a person accused of an ofence committed under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

2. Legal Services may also be refused in respect of a case of defamantion or malicious prosecution where the Secretary is satisfied that it is a suitable case for such refusal in the totality of facts;

Provided that reasons for refusing legal services shall be recorded in writing and order of the Chairman shall be obtained before the Legal Services are refused under these regulations.

11. Modes of providing Legal Services

Legal Services may be given in any one or more of the following modes, namely :

a. towards payment of Court-fees, Process-fee and all other charges payable or incurred in connection with any Legal proceedings;

b. through engagement of a legal practitioner;

c. for obtaining and supply of certified copies of Judgement, order and other documents in legal proceedings:

Provided that payment of Court-fees, Process-fee and other expenses shall be allowed to the extend as per general orders of the State Authority.

12. Application for Legal Services

1. Any person requiring Legal Aid, Legal Advice or Legal Services may make an application addressed to the Secretary of the Committee.

2. The Committee shall maintain a register of application wherein all applications for Legal Aid, Legal Advice or Legal Services shall be entered and registered and the action taken on such applications shall be noted against the entry relating to each such application.

13. Disposal of Applications

1. On receipt of an application for Legal Aid, Legal Advice or Legal Services the Secretary shall scrutinise the application to satisfy himself that the same is in order as regards eligibility and other

11. विधिक सेवायें प्रदान करने के ढंग

निम्नलिखित किसी एक या अधिक ढंग से विधिक सेवायें प्रदान की जा सकती है अर्थात

क. न्याय शुल्क, आदेशिका शुल्क और किसी विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध मे देय या उपगत अन्य प्रभारों के भुगतान के प्रति;

ख. किसी विधि व्यवसायी के नियुक्ति के माध्यम से;

ग. विधिक कार्यवाहियों में निर्णय, आदेश और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने और उपलब्ध कराने के लिये:

प्रतिबन्ध यह है कि न्याय शुल्क, आदेशिका और अन्य खर्चों के भुगतान राज्य प्राधिकरण के सामान्य आदेशों की सीमा तक ही स्वीकृत होंगे।

12. विधिक सेवाओं के लिये आवेदन पत्र

1. विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं की अपेक्षा करने वाला कोई व्यक्ति सचिव को सम्बोधित आवेदन पत्र दे सकता है।

2. समिति आवेदन पत्रों का एक रजिस्टर रखेगी जिसमें विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिये सभी आवेदन पत्र अंकित और रजिस्ट्रीकृत किये जायेंगे और ऐसे आवेदन पत्रों पर की गयी कार्यवाही प्रत्येक ऐसे आवेदन पत्र से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अंकित की जायेगी।

13. आवेदन पत्रों का निस्तारण

1. विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सचिव आवेदन पत्रों की संवीक्षा अपना यह समाधान करने के लिये कि वह जहां तक पात्रता और नियमावली और विनियमावली की अन्य अपेक्षाओं का सम्बन्ध है, ठीक है करेगा और जहां कहीं आवश्यक हो आवेदक से यथावश्यक अग्रतर सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

2. सचिव आवेदन पत्र पर विचार करेगा और विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवाओं को दिये जाने या दिये जाने से इन्कार करने के लिये आवश्यक आदेश पारित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने का प्रस्ताव किया जाय तो वहां ऐसा करने के कारणों को इस प्रयोजन के

requirements of the rules and regulations and wherever warranted the applicant may be required to submit further information as may be necessary.

2. The Secretary shall consider the application and pass necessary order for granting or refusing to provide legal aid, legal advice or other legal services;

Provided that where it is proposed to disallow the application, reasons for so doing shall be duly recorded in the register of applications maintained in the Committee:

Provided further that the order of the Chairman shall be obtained before a person is denied legal aid, legal advice or legal services.

3. No application for Legal Aid, Legal Advice or Legal Services shall be allowed, if the Secretary is satisfied that :-

a. the applicant has knowingly made false statement or furnished false information as regards his means or in respect of any other material fact; or

b. there is no prima-fecie case to institute or as the case may be, to defend the proceedings ; or

c. the application is ferivolous or vexatious;

d. the applicant is not entitled to the same under these regulations; or

e. having regard to all the relevant facts and circumstances of the case, it is otherwise not expedient and reasonable to grant it:

Provided that order of the Chairman shall be obtanied before an application is disallowed in any of the aforesaid clauses.

14. Duty of Aid person

Every aided person or his representative shall attend the office of the Committee as and when required by the Secretary or by the advocate concerned and shall provide and furnish such particular or information as may be considered necessary and shall make full disclosure of the particular or information so required. He shall attend the court or proceedings at his own expense.

15. Certificate of Eligibility

1. Where an application for Legal Aid, Legal Advice or Legal Service is allowed, a certificate of

लिये रखे गये आवेदन पत्रों के रजिस्टर में सम्यक रूप से अभिलिखित किया जायेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं से इन्कार किये जाने के पूर्व अध्यक्ष का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

3. विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिये कोई आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि सचिव का समाधान हो जाय कि :-

(क) आवेदक ने अपने साधनों के सम्बन्ध में या किसी अन्य सारवान तथ्य के सम्बन्ध में जानबूझकर गलत विवरण दिया है या गलत सूचना दी है

(ख) यथास्थिति, कार्यवाहियों को संस्थित करने या उनका प्रतिवाद करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं हैं; या

(ग) आवेदन पत्र तुच्छ या तंग करने वाला है;

(घ) इस विनियमावली के अधीन आवेदक उसका हकदार नहीं है; या

(ङ) मामले की समस्त सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसे स्वीकृत करना अन्यथा समीचीन और युक्तियुक्त नहीं:

परन्तु उपर्युक्त किन्हीं खण्डों के अधीन किसी आवेदन पत्र के अस्वीकृत किये जाने के पूर्व अध्यक्ष का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

14. सहायता प्राप्त व्यक्ति का कर्त्तव्य

प्रत्येक सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि, जब कभी सचिव या सम्बद्ध अधिवक्ता द्वारा अपेक्षा की जाय, समिति के कार्यालय में उपस्थित, होगा और ऐसे विवरण या सूचना, जैसी आवश्यक समझी जाय, देगा और प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार अपेक्षित विवरण या सूचना को पूर्ण रूप से प्रकट करेगा। वह न्यायालय या कार्यवाहियों में अपने खर्चे पर उपस्थित होगा।

15. पात्रता का प्रमाण पत्र

1. जहां विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिये कोई आवेदन पत्र स्वीकृत कर लिया जाय तो आवेदक के पक्ष में उसे किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं का हकदार करते हुए एक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

eligibility shall be issued in favour of the applicant entitling him to Legal Aid, Legal Advice or Legal Services in respect of a proceeding.

2. The certificate of eligibility shall stand cancelled if the Legal Aid, Legal Advice or Legal Services is withdrawn and in every such case the advocate to whom the case of the person concerned is assigned, as also the court or judicial or quasi-judicial Authority before which the case is pending, shall be informed accordingly in writing.

16. Cancellation of certificate of eligibility

1. The Committee may either on its own motion or otherwise cancel the certificate of eligibility granted under regulation 15 in the following circumstances, namely:

a. in the event of being found that the certificate of eligibility was obtained by the aided person by mis-representation or fraud;

b. in the event of any material change in the circumstances of the aided person;

c. in the event of any misconduct, misdemeanour or negligence on the part of the aided person in the course of receiveing legal aid;

d. in the event of the aided person not cooperating with the Committee or with the advocate provided by the Committee;

e. in the event of the aided person engaging an advocate at his own expense who in the opinion of the Secretary can suitably look after the matter;

f. in the event of death of the aided person except in the case of civil proceedings where the right or liability survives; in such event Legal Aid may be continued where the legal representative is also eligible for such aid.

2. No certificate of eligibility shall be cancelled under clause (1) whithout giving due notice to the aided person or to his legal representative in the event of his death to show cause as to why the certificate should not be cancelled.

3. Where the certificate of eligibility of aided person is cancelled under sub-regulation (1), legal aid, legal advice or legal services shall be discontinued and the amount already given for such

2. यदि विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें वापस ले ली जाती हैं तो पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त हो जायेगा, ऐसे प्रत्येक मामले में अधिवक्ता जिसे सम्बन्धित व्यक्ति का मामला समनुदेशित किया गया है और साथ ही न्यायालय या न्यायिक या न्यायिक कल्प प्राधिकरण जिसके समक्ष मामला लम्बित है, को भी तद्नुसार लिखित रूप में सूचित किया जायेगा।

16. पात्रता प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण

1. समिति या तो अपनी स्वप्रेरणा से या अन्यथा निम्नलिखित परिस्थितियों में विनियम 15 के अधीन दिये गये पात्रता प्रमाण पत्र को निरस्त कर सकती है, अर्थात् :-

क. यह पाये जाने की दशा में कि सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त किया गया है;

ख. सहायता प्राप्त व्यक्ति की परिस्थितियों में किसी कोई सारवान परिवर्तन होने की दशा में।

ग. कार्यवाहियों के दौरान सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से किसी अवचार, दुर्व्यवहार या उपेक्षा की दशा में;

घ. सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समिति के साथ या समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता के साथ सहयोग न किये जाने की दशा में;

ङ. सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा अपने व्यय पर किसी अधिवक्ता को नियुक्त किये जाने की दशा में, जो सचिव की राय में मामले की उपयुक्त रूप से देख-भाल कर सकता है;

च. सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु की दशा में सिवाय सिविल कार्यवाहियों के मामले में जहां अधिकार या उत्तरादायित्व उत्तरजीवित हों, ऐसी दशा में विधिक सहायता जारी रखी जा सकती है जहां विधिक प्रतिनिधि भी ऐसी सहायता के लिए पात्र हैं।

2. सहायता प्राप्त व्यक्तियों या उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि को बिना कारण बताने का अवसर दिए, कि प्रमाण पत्र क्यों न निरस्त कर दिया जाय, खण्ड (1) के अधीन कोई पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया जायेगा।

3. जहां सहायता प्राप्त व्यक्ति का पात्रता प्रमाण पत्र उप विनियम (1) के अधीन निरस्त कर दिया जाय वहां विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें रोक दी जायेंगी और ऐसी विधिक

legal aid, legal advice or legal service may be recovered in full or part as may be decided by the secretary with the approval of the Chairman.

17. Fee/Honorarium payable to Legal Practitioners on the Panel

1. A Panel of suitable advocates who are agreeable to conduct the cases or proceedings on behalf of the persons in whose favour a certificate of eligibility has been issued shall be prepared by the committee. Ordianarily the panel so prepared shall be for two years. A copy of the Panel so prepared shall be sent to the State Authority for information, advice and direction, if any. Such advocates shall be paid fee or honorarium at such rate as may be determined from time to time by the State Authority. Until so determined the rate of fee or honorarium fixed for the purpose under the relevant State Government Orders shall continue.

2. No legal practitioner to whom any case is assigned for Legal Aid, Legal Advice or Legal Services shall receive any fee or remuneration, whether in cash or in kind or any other advantage, monetary or otherwise, from the aided person or from any other person on his behalf.

3. A Legal practitioner on the panel, who has completed his assignment, shall submit a statement showing the fee or honorarium due to him in connection with the legal procedings conducted by him on behalf of the aided person to the Secretary who shall, after due scrutiny and approval of the Chairman, sanction the amount to be paid to the advocate concerned.

4. An advocate may be permitted to provide Legal Aid, Legal Advice or Legal Services without charging any fee or honorarium.

5. The Chairman may, in suitable cases, appoint any advocate, not on panel, to file or defend a case.

C.P. Mishra
Member Secretary,
State Legal Services Authority,
Lucknow

By order
N.K. Mehrotra,
Principal Secretary, Judicial,
Government of U.P.
Lucknow.

सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिए पहले से दी गई धनराशि पूरी या आंशिक, जैसा कि अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव द्वारा विनिश्चित किया जाय, वसूल की जा सकती है।

17. पैनल के विधि व्यवसायी को देय फीस या मानदेय

1. समिति द्वारा उपयुक्त अधिवक्ताओं का, जो ऐसे व्यक्तियों की ओर से जिनके पक्ष में पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है मामलों या कार्यवाहियों को संचालित करने को सहमत हों, का एक पैनल तैयार किया जायेगा। सामान्यतः ऐसा तैयार किया गया पैनल दो वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। इस प्रकार तैयार किए गए पैनल की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को सूचना, सलाह और निर्देश, यदि कोई हो, के लिए भेजी जायेगी। ऐसे अधिवक्ताओं को राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित दर पर फीस या मानदेय का भुगतान किया जायेगा। जब तक इस प्रकार अवधारित न किया जाय, राज्य सरकार के सुसंगत आदेशों के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फीस या मानदेय की दरें जारी रहेंगी।

2. कोई विधि व्यवसायी जिसे विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिये कोई मामला समनुदेशित किया गया है, किसी सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से कोई फीस या पारिश्रमिक चाहे नकद या वस्तु रूप में कोई अन्य लाभ, आर्थिक या अन्यथा प्राप्त नहीं करेगा।

3. पैनल का कोई विधि व्यवसायी, जिसने सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से उसके द्वारा संचालित की गयी विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अपना समनुदेशन पूरा कर लिया है, देय फीस या मानदेय को दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिस पर सचिव सम्यक संवीक्षा और अध्यक्ष को अनुमोदन के पश्चात सम्बन्धित अधिवक्ता को भुगतान की जाने वाली धनराशि स्वीकृत करेगा।

4. किसी अधिवक्ता को बिना कोई फीस या मानदेय लिये विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है।

5. अध्यक्ष, उपयुक्त मामलों से किसी अधिवक्ता को, जो पैनल में नहीं है किसी मामले को दाखिल या प्रतिवाद करने के लिये नियुक्त कर सकता है।

सी.पी. मिश्रा
सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ